मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 16, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री जमना प्रसाद चौरसिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये । श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्यगण ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा 2 मिनिट मौन खड़े रहकर, दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 10.37 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.43 बजे पुन : समवेत हुई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 86 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 82 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 24 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार –

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी के विजयराघवगढ़ में खाद्य निरीक्षक को हटाये जाने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में डाली गई नर्मदा जल की पाईप लाईन पर कब्जा कर पक्का निर्माण होने,
(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की जिला धार के सरदारपुर की नहरों की मरम्मत न होने,
(4) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की सिवनी चिकित्सालय में डायलेसिस आदि की व्यवस्था न होने,
(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में प्रतिबंधित गुटका पाउच मंहगे दामों पर बिकने,
(6) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की भोपाल के जवाहरलाल नेहरू केंसर अस्पताल में ड्रग ट्रायल्स में मृत मरीजों के परिजनों को मुआवजा न मिलने,
(7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश की सड़कों सहित खाचरौद-रतलाम सड़क की हालत जर्जर होने,
(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ के ग्राम सीलखेड़ा से ग्राम बगवाज तक सड़क मार्ग के जर्जर होने,
(9) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की सीहोर के हाईस्कूल प्राचार्य द्वारा अनियमितता किये जाने,
(10) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की शाजापुर के आगर-मालवा अस्पताल में गलत नसबंदी से एक महिला की मृत्यु होने,
(11) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ के माध्यमिक स्कूलों के उन्नयन में नियम की अनदेखी की जाने,
(12) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद की नर्मदा नदी में प्रदूषण न रोके जाने,
(13) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड के लहार के ग्राम सिकरी करियावली में स्कूल भवन न होने,
(14) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ में जन अंकुश योजना का क्रियान्वयन न होने,
(15) श्री अजय सिंह, सदस्य की सीधी के कई ग्रामों में वृद्धावस्था पेंशन आदि न मिलने,
(16) श्री सुदामा सिंह सिंग्राम, सदस्य की अनूपपुर जिले के जैतहरी में स्कूल के ऊपर से विद्युत लाईन से स्पार्किंग होने,
(17) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा क्षेत्र में कई विभागों के भवन अपूर्ण होने,
(18) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल में पातरा से निकलने वाला नाला टूटा होने,
(19) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की मंदसौर के दलौदा थाने में पुलिस बल की कमी होने,
(20) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के ग्राम घुघरी में तेन्दुपत्ता गोदाम का निर्माण कार्य शुरू न होने,
(21) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की मध्यप्रदेश के कई जिलों में एम.बी.बी.एस. वरिष्ठ डाक्टरों को मलेरिया अधिकारी बनाने,
(22) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की स्थिति जर्जर होने,

(23) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की शहडोल पडरिया मार्ग का निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से होने,

(24) श्री कमलेश जाटव, एडवोकेट, सदस्य की मुरैना के ग्राम जीगनी में भारत स्काउट गाईड प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि आवंटन न होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 तथा आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

(2) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर, 2012 पटल पर रखी।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में राजघाट नहर के टूटने से फसलें नष्ट होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के ग्राम इन्दरगढ़ स्थित आदिवासियों को पट्टे पर दी गई भूमि का अवैध विक्रय किये जाने की संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(3) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले में बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत प्राप्त राशि से पेयजल हेतु घटिया पाईप की खरीदी किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य सहित विपक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(4) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, अरविन्द सिंह भदौरिया तथा आरिफ अकील, सदस्यगण ने भोपाल स्थित वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति सराय सिकंदरी पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) ध्यानाकर्षण सूचना तथा उत्तर में विधायक के फोन नम्बर संबंधी उल्लेख किये जाने विषयक

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा ध्यानाकर्षण संख्या (4) के संदर्भ में यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि – "सदन के माननीय अध्यक्ष आप हैं। यह मान्य परम्परा एवं आसंदी की व्यवस्था रही है कि किसी भी विधान सभा सदस्य के प्रति अगर कहीं आक्षेपित किया जाता है तो सबसे पहले सदन एवं संबंधित सदस्य को नोटिस देना चाहिए। इस ध्यानाकर्षण में जो फोन नंबर का उल्लेख किया गया है वह श्री आरिफ अकील, सदस्य के नाम से विधान सभा कोटे से दिया गया है। यदि उनके प्रति कोई आपत्ति थी तो सबसे पहले विधान सभा के पटल पर इसकी सूचना देनी चाहिए थी। "

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर यह व्यवस्था दी गई कि - "चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति को मैं अग्राह्य करता हूँ क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर कोई विधायक नियम विरूद्ध काम करे, अवैध कब्जा करे और वह प्रमाणित हो जाये तो उसको पहले सूचना दी जाए। इस बारे में सम्बन्धित विधायकजी को कुछ कहना है तो मैं उनको अवसर दूंगा। इस ध्यानाकर्षण पर आपको कोई बात रखना है तो मैं आपको भी अवसर दूंगा। "

(2) ध्यानाकर्षण की चर्चा में न्याय निर्णयाधीन मामले पर प्रश्न करने की मांग किए जाने विषयक

श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य द्वारा उनके मूल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा शासन के उत्तर में उल्लिखित, न्यायालय में लंबित नियुक्ति विषयक मामले में प्रश्न करने की अनुमति मांगे जाने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि – " मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि उच्च न्यायालय में अगर कोई प्रकरण लंबित है तो जिसकी नौकरी रहे या जाये लेकिन जिसके प्रभाव में नियुक्ति हुई है आज हम उस पर चर्चा करें। स्थगन (स्टे) का अर्थ है समग्र चिंतन, माननीय न्यायालय उस पर पूरा विचार करेगा और तभी उस पर कोई व्यवस्था दी जायेगी। इसलिए अगर नौकरियों का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। यह आसंदी की व्यवस्था है।"

7. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य लेने के समय में परिवर्तन विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत हैं। चूंकि आज भोजनावकाश नही होगा। अत: आज की कार्यसूची में सम्मिलित पद क्र.6 तक के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समय के लिए गैर सरकारी सदस्यों के कार्य लिए जाएंगे।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सुखदेव पांसे (जिला-बैतूल)
(2) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(3) श्री पुरूषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
(4) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(5) श्री रामलखन सिंह (जिला-सतना)
(6) श्री ध्रुवनारायण सिंह (जिला-भोपाल शहर)
(7) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा)

9. अध्यक्षीय घोषणा
मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक 2012 पर विचार बाद में किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज वित्त मंत्री महोदय अवकाश पर है, अत: मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक 2012 पर बाद में विचार किया जाएगा।

10. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाईसवे प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके अनुसार, समिति ने शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-3)	श्री रामनिवास रावत	30 मिनट
2.	(क्रमांक-5)	श्री विश्वास सारंग	40 मिनट
3.	(क्रमांक-9)	श्री संजय पाठक	15 मिनट
4.	(क्रमांक-21)	श्री बृजमोहन धूत	40 मिनट
5.	(क्रमांक-38)	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	25 मिनट

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बाईसवे प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा आसंदी से मांग की गई कि आज की कार्यसूची में अंकित अशासकीय संकल्प की संक्षिप्त शब्दावली के स्थान पर उनके द्वारा प्रस्तुत मूलत: विस्तृत अशासकीय संकल्प ही प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। अत: आसंदी की अनुमति के पश्चात् उन्होंने निम्नानुसार अशाकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"इस सदन का मत है कि भू-राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6.4 (1) के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता में प्राकृतिक आपदा अंतर्गत सूखे से होने वाली फसल हानि के लिए एवं सूखे के कारण फसल नहीं बो पाने को भी फसल हानि मानकर वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के समान रकबे के आधार पर सहायता प्रदान करने एवं 6.4 (5) के अंतर्गत नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकंप, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, आकाशीय बिजली गिरने एवं आग की तरह बिजली के करंट से मरने वाले व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जाय", तथा भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री श्रीकांत दुबे
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

'' यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि एक वर्ष में एक परिवार को एल.पी.जी. के सबसिडी वाले 6 सिलेण्डर देने का नियम समाप्त करते हुए लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार सबसिडी वाले सिलेण्डर उपलब्ध कराये जायें'', तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री पारस जैन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) श्री संजय पाठक , सदस्य का निम्नलिखित अशासकीय संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया कि -

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन संख्या 11452 इन्टर सिटी एक्सप्रेस जो जबलपुर से रीवा तथा रीवा से जबलपुर चलती है, को झुकेही रेल्वे स्टेशन पर रोका जाये''. (निर्देशानुसार स्थगित)

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

''सदन का यह मत है कि केन्द्र शासन द्वारा जो खादों पर सबसिडी कम की गई वह पूर्ववत रखी जाय ताकि खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके ''.

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बृजमोहन धूत
(2) श्री विश्वास सारंग

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया कि -

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश की सीमा क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का संधारण केन्द्र सरकार द्वारा न किये जाने से इन्हें डिनोटीफाई किया जाकर प्रदेश सरकार को जनहित में हस्तांतरित किया जाय''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। विभागीय मंत्री के अनुरोध के आधार पर, सदन की सहमति के पश्चात् निम्नलिखित रूप में यथासंशोधित संकल्प विचारार्थ प्रस्तुत हुआ :-

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश की सीमा क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का संधारण केन्द्र सरकार करे''

यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 19, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012